...देश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

1 | 2 | 3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0–12/2017–18
आवेदिका– सावित्री देवी
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– खुटहरी
आदेश

05-4-18

आवेदिका सावित्री देवी, पति स्व0 सतन मंडल, एवं मनोज कुमार मंडल, पिता स्व0 सतन मंडल दोनो सा0– खुटहरी, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के द्वारा दाखिल प्रधानी बहाली वाद आवेदन पत्र को जाँच हेतु अंचल अधिकारी राजमहल को भेजा गया। अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्र सं0 56/रा0 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट हो कर वाद की कार्यवाही दिनांक 16.01.2018 को प्रारम्भ करते हुए मौजा के 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस निर्गत कर अनापत्ति आमंत्रित किया गया साथ ही आवेदकगणों को भी नोटिस निर्गत कर सुनवाई में उपस्थित होने को निदेश दिया गया।

विधिवत नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा– खुटहरी के 16 आने रैयतों के द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी एवं आवेदक मनोज कुमार मंडल को नोटिस तामिला होने के बावजूद न्यायालय में कभी भी उपस्थित नही हुए। फलस्वरुप इस वाद की सुनवाई एक पक्षीय किया गया।

आवेदिका को सुना। उन्होने बताया कि मौजा खुटहरी के पूर्व प्रधान स्व0 मैसा सतन मंडल थे जो मेरे पति थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रही हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा– खुटहरी के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी राजमहल ने पत्रांक 56/रा0 दिनांक 09.01.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदिका पूर्व प्रधान स्व0 सतन मंडल का पत्नी है। पूर्व प्रधान स्व0 सतन मंडल के मरणोपरान्त उनकी पत्नी सावित्री देवी उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में स्वयं कार्य कर रही हैं तथा इनके द्वारा मौजा का लगान जमा किया जाता है। आवेदिका वर्तमान में खुटहरी में रहती है। अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा आवेदिका सावित्री देवी पति स्व0 सतन मंडल सा0– खुटहरी थाना–राजमहल जिला साहेबगज को मौजा– खुटहरी के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, राजमहल की अनुशंसा एवं 16 आने रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदिका सावित्री देवी पति स्व0 सतन मंडल , सा0– खुटहरी थाना–राजमहल जिला साहेबगज को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा– खुटहरी के रिक्त प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। आवेदिका को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें तत्पश्चात् पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, राजमहल को आवश्यक कार्रवाइ हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 05/4/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

(हस्ताक्षर) 05/4/18
अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

Scanned with CamScanner